तकनीकी बोली जमा करने हेतु प्रारूप

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन प्रभाग) न्यू मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना प्लॉट नंबर- 3, दूसरी मंजिल, श्याम हाउस, आम्रपाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर-302021 (राजस्थान)

	यानायत याञ्चयताञ्च यार्याजना सर् २ समी मंत्रिस भूमम सरम
ट नंबर- 3, दूसरी मंजिल, श्याम हाउस,	
प्रपाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर-302021 (राजस्थान)	
	(एस. वी. नं)
<i>क्त)</i>	भू-स्वामी/स्वामियों का नाम :
	पिता/ पति या पत्नी का नाम :
	स्थायी पता :
۹۱ <i>)</i>	स्थाया पता
⊏ \	na anagra da mar .
4)	पत्र-व्यवहार हेतु पता :
ਡ \	 .
	3म :
	लिंग : पुरुष/ स्त्री
•	आधार संख्या :
	प्लॉट संख्या अथवा खसरा संख्या :
哥)	भू-खंडों को घेरे हुए अन्य भू-खंड : पूर्व -
	पश्चिम -
	उत्तर -
	दक्षिण -
	भू-खंड की माप अथवा क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) :
	फ्रीहोल्ड / लीजहोल्ड :
ਠ)	लीजहोल्ड की अवस्था में, लीज के वर्ष :
	क्या लीज नवीनीकरण योग्य है? : हाँ/ ना
ढ)	यदि लीज नवीनीकरण योग्य है, तो कितने वर्ष हेतु नवीनीकृत की जा सकती है? :
ण)	क्या लीज रद्द की जा सकती है? : हाँ/ ना
ਗ)	स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) / लीज डीड संख्या एवं दिनांक :
থ)	नाम परिवर्तन (म्यूटैशन) संख्या एवं दिनांक :
द)	वर्तमान किराया/ कर भुगतान की पावती संख्या एवं दिनांक :

(हस्ताक्षर अथवा बाएँ-हाथ के अंगूठे के का निशान - राजपत्रित अधिकारी/ पंजीकृत चिकित्सक द्वारा साक्ष्यांकित)

संलग्नक सूची:

- 1. भूमि विक्रय सहमति पत्र / भूमि विक्रय का समझौता पत्र अनिवार्य
- 2. परिवार /वंशावली (यदि भूमि की हकदारी पैतृक है) वैकल्पिक
- 3. म्यूटेशन की साक्ष्यांकित (अटैस्टेड) प्रतिलिपि वैकल्पिक
- 4. नवीनतम खसरा नं./खतौनी/चकबंदी का विवरण वैकल्पिक
- 5. भूमि मालिकों का विवरण/ हकदारिता का विवरण वैकल्पिक
- 6. वर्तमान किराया/ कर भ्गतान की पावती वैकल्पिक
- 7. टाइटल डीड/ लीज डीड विक्रय की साक्ष्यांकित (अटैस्टेड) प्रति वैकल्पिक
- 8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विक्रय विलेख का सहमति पत्र, अगर लागू हो वैकल्पिक
- 9. भूमि का विधिक परामर्शक अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किया हुआ गैर भार प्रमाणपत्र वैकल्पिक
- 10. भूमि का 7/12 उद्धरण अगर राज्य में लागू हो वैकल्पिक
- 11. अन्य कोई दस्तावेज़ जो भूमि विक्रय मे लागू हो -

उपर्युक्त दस्तावेज जो की वैकल्पिक अंकित किए गए हैं वे मूल्यांकन के चरण पर प्रस्तुत करने होंगे। वे दस्तावेज जब भी कॉर्पोरेशन द्वारा मांगे जाने पर भू-विक्रेता को प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे दस्तावेजों को जमा ना करने पर भू-विक्रेता द्वारा जमा की गई बोली को अनुत्तरदायी करार दिया जाएगा।

नोट: यह बोली भू-विक्रेता द्वारा प्रथक बंद लिफ़ाफ़े (जिसका शीर्षक 'तकनीकी बोली' हो) में जमा की जाए |